# लेखा योग

लेखाधार

अङ्क ९० – अप्रैल ०३ (मार्च – ०४ में प्रकाशित)

**इस अङ्क में**

प्रचलित लेखाधार १
- १. रोकड़ लेखाधार १
- २. प्रोद्भवन लेखाधार १
- ३. मिश्रित लेखाधार १

विधिक अपेक्षाएँ २
- संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम, १८६० २
- बम्बई लोक धर्मार्थ न्यास अधिनियम, १९५० २
- कम्पनी अधिनियम, १९५६ २
- आयकर अधिनियम, १९६१ २
- विअविअ, १९७६ २

तब जनसेवी संस्थाओं के लिए क्या ठीक है? २
- भविष्याधारित लेखा? ३

प्रकटीकरण ४

सम्बन्धित लेखा·योग ४

किसी जनसेवी संस्था के लिए लेखाधार[१] क्या होना चाहिए? इसके तीन विकल्प हैं: (१) रोकड़ आधार (२) प्रोद्भवन आधार (३) मिश्रित आधार। अधिकतर जनसेवी संस्थाएँ रोकड़ आधार या मिश्रित आधार को चुनती हैं। कुछ संस्थाओं ने अब प्रोद्भवन आधार का भी अनुकरण करना प्रारम्भ कर दिया है।

## प्रचलित लेखाधार

इन तीनों में से जनसेवी संस्थाओं के लिए कौन सा आधार श्रेष्ठ है? आइए, यह जानने के लिए हम विभिन्न आधारों से सम्बन्धित धारणा को समझें।

### १. रोकड़ लेखाधार

जब कोष / निधि की उगाही या भुगतान के बारे में अनिश्चितता हो तो रोकड़ आधार उपयुक्त है। ऐसा उस क्षेत्र में हो सकता है जहाँ न्यायिक व्यवस्था क्षीण हो या अराजकता का वातावरण हो। यह युद्ध या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यापारी भी उधार देना बन्द कर देते हैं।

कुछ प्रकरणों में व्यवसाय ऐसी प्रकृति का होता है कि आप उगाही / प्राप्ति के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। उदाहरण के लिए चोरी के माल का क्रय या विक्रय।

छोटे व्यवसायों को अधिकांशतः ऋण नहीं मिलता तथा वे व्यवसायों में अधिक पूँजी भी नहीं लगाते। ऐसे में रोकड़ आधार अधिक सुविधाजनक है।

रोकड़ लेखाधार प्रोद्भवन लेखाधार से कम जटिल है। अतः जिन संस्थाओं के पास प्रशिक्षित लेखाकार नहीं है, उन्हें रोकड़ लेखाधार चुनने का परामर्श दिया जाता है[२]।

### २. प्रोद्भवन लेखाधार

वर्तमान व्यवसायिक युग में प्रोद्भवन या वाणिज्यिक लेखा सभी देशों में प्रचलित है। आधुनिक व्यवसायों में ऋण का उपयोग बहुत ही जटिल विधि से होता है। इसका अर्थ यह है कि लेन-देन एवं धन की प्राप्ति में बहुत समयान्तर हो सकता है। इसी प्रकार पूँजी-प्रधान व्यवसायों को भी कुछ समय पश्चात् अपने संयन्त्रों के मूल्य ह्रास को आँकना पड़ता है।

कभी-कभी प्रोद्भवन लेखा का दुरुपयोग भी होता है। यह चतुर लेखापालों को आर्थिक परिणामों में कई प्रकार से मोड़-तोड़ करने का अवसर देता है। एक दृष्टिकोण[३] से प्रोद्भवन लेखाधार के दुरुपयोग से ही एनरॉन, वर्ल्डकॉम, जेरॉक्स, इत्यादि को अपनी आय बढ़ाकर दिखाना सरल हो सका।

### ३. मिश्रित लेखाधार

मिश्रित लेखाधार को संशोधित प्रोद्भवन लेखाधार भी कहते हैं। इसमें रोकड़ तथा प्रोद्भवन लेखाधार दोनों का थोड़ा-थोड़ा अंश होता है।

---

१ किसी भी आय-व्यय का लेखा देयता के समय किया जा सकता है अथवा प्राप्ति-भुगतान के समय किया जा सकता है। "लेखाधार" उस समय का निर्धारण करता है जब आप इसका लेखा करेंगे। इस पर अधिक जानकारी के लिए कृपया लेखा·योग-५९: "सामान्यतः उलझन वाले प्रश्न" देखें।

२ बड़ी रोचक बात है कि भारत वर्ष में अधिकांश मुनीम प्रोद्भवन पद्धति का प्रयोग प्राचीन काल से करते आये हैं। इन मुनीमों को किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता भी नहीं होती। सम्भवतः यह भारतीय अथवा महाजनी पद्धति की सरलता का द्योतक है।

३ श्री जॉन कैसिडी ने अपने लेख "द ग्रीड साइकल" में कार्यकारी भुगतान एवं व्यवसायिक लेखाङ्कन के सम्बन्धों के बीच एक रोचक ऐतिहासिक शोध प्रस्तुत किया है। पृष्ठ ६४-७७, द न्यु योर्कर, २३ सितम्बर २००२

उदाहरण के लिए- व्यय प्रोद्भवन लेखाधार पर मान्य हो सकते हैं। अनुदान तथा आवर्ती आय (भाड़ा, ब्याज, इत्यादि) भी प्रोद्भवन लेखाधार पर मान्य हो सकते हैं। परन्तु दान का लेखा तभी किया जाए जब वह प्राप्त हो जाए।

रोकड़ तथा प्रोद्भवन के मिश्रण का अनुपात एक सङ्गठन से दूसरे सङ्गठन में भिन्न हो सकता है। यह लेखा विवरणों में टिप्पणी दे कर स्पष्ट किया जाता है।

## विधिक अपेक्षाएँ

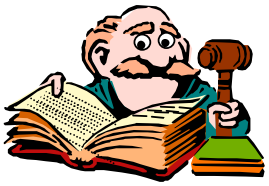

इस विषय पर भारतीय विधि क्या कहती है?

### संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम, १८६०

यह अधिनियम लेखा के विषय पर मौन है। कुछ राज्यों की समतुल्य विधियों में लेखा के लिए कुछ उपबन्ध किये गए हैं। परन्तु किसी भी राज्य अधिनियम में कोई विशेष लेखाधार निर्धारित नहीं किया गया है।

### बम्बई लोक धर्मार्थ न्यास अधिनियम, १९५०

यह गुजरात तथा महाराष्ट्र में लागू है। अधिनियम यह निर्धारित नहीं करता कि किस लेखाधार का अनुकरण करना चाहिए। परन्तु चिट्ठे तथा आय-व्यय लेखा का एक प्रारूप नियम[४] में दिया गया है।

इस प्रारूप में प्रोद्भवन तथा रोकड़ लेखाधारों, दोनों को ही, विधि के अन्तर्गत मान्य दिखाया गया है। साथ ही, प्रोद्भवन लेखाधार को मुख्यतः किराया तथा ब्याज की आय दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया है। अनुदान तथा दान के लिए प्रोद्भवन लेखाधार को आवश्यक नहीं बताया है।

यदि खाता रोकड़ लेखाधार पर रखा जाता है तो अप्राप्त आय को वर्ष के अन्त में चिट्ठे में टिप्पणी द्वारा दिखाया जाता है।

### कम्पनी अधिनियम, १९५६

यह अधिनियम उन जनसेवी संस्थाओं पर लागू होता है जिन्होंने धारा २५ के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त की है। ऐसी कम्पनियों को अपने खाते प्रोद्भवन लेखाधार पर रखने होते हैं, जैसे कि अन्य "लाभ हेतु गठित कम्पनियाँ[५]" करती हैं।

### आयकर अधिनियम, १९६१

आयकर अधिनियम की धारा-१४५ में विशेष प्रकार की आय के लिए लेखाधार के बारे में प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान उन सङ्गठनों के लिए है जिनकी "वृत्ति या व्यवसाय से लाभ एवं अर्जन" अथवा "अन्य स्रोतों से आय" होती है।

ऐसे सङ्गठनों को या तो रोकड़ लेखाधार या प्रोद्भवन लेखाधार को चुनना[६] होता है। प्रति वर्ष एक ही आधार का अनुकरण करना चाहिए। साथ ही, इन दोनों लेखाधारों का मिश्रण भी नहीं करना चाहिए।

क्या यह प्रावधान जनसेवी संस्थाओं पर भी लागू होता है? हाँ भी तथा नहीं भी। हमारा विचार है कि यह प्रावधान किसी जनसेवी संस्था पर तभी लागू होता है जब उसकी व्यवसायिक आय या अन्य स्रोत[७] से आय होती है। यह वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ स्वैच्छिक अंशदान[८] है या आय न्यास की सम्पत्ति से हो रही है।

यदि यह दृष्टिकोण स्वीकार्य है, तब जनसेवी संस्थाएँ अनुदान तथा दान से सम्बन्धित विविध कार्यकलापों के लिए मिश्रित लेखाधार चुनने के लिए स्वतन्त्र है।

परन्तु उन्हें अपने व्यवसायिक कार्यकलापों[९] या अन्य स्रोतों से आय के लिए शुद्ध रोकड़ या शुद्ध प्रोद्भवन लेखाधार का ही चुनाव करना चाहिए।

### विअविअ, १९७६

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, १९७६ रोकड़ या प्रोद्भवन के प्रश्न पर मौन है। विअविअ नियमों के अन्तर्गत[१०] जनसेवी संस्थाओं को प्रत्येक वर्ष प्राप्ति-भुगतान खाते की एक प्रति गृह मन्त्रालय के विअविअ विभाग में प्रेषित करनी होती है। प्राप्ति-भुगतान खाता सर्वदा रोकड़ लेखाधार पर ही बनता है, अतः प्रोद्भवन लेखाधार का प्रश्न स्वतः ही अप्रासङ्गिक हो जाता है।

## तब जनसेवी संस्थाओं के लिए क्या ठीक है?

इस चर्चा के लिए हम अलाभार्थी / परोपकारी संस्थाओं[११] को दो श्रेणियों में बाँट सकते हैं:

१ ऐसे सङ्गठन जो लोगों को सेवा प्रदान करते हैं (चिकित्सालय, विद्यालय, महाविद्यालय, इत्यादि)। ये अधिकतर उस धन से चलते हैं जो इन्हें शुल्क के रूप में उपभोक्ता से प्राप्त होता है। दान इनकी आय का एक छोटा सा अंश होता है। अतः हमने इनको सेवार्थ संस्था की संज्ञा दी है।

२ ऐसे सङ्गठन जो अपने कार्यक्रमों को चलाने के लिए अनुदान या दान पर निर्भर रहते हैं। शुल्क इनकी आय का एक छोटा सा अंश होता है। इन्हें हम सामान्यतः जनसेवी संस्था कहते हैं।

अब हम अलाभार्थी / परोपकारी संस्थाओं के वित्तीय वातावरण के मुख्य लक्षणों पर विचार करते हैं:-

---

[४] अनुसूची ८ तथा ९

[५] धारा २०९(३)(ख)

[६] आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा १४५

[७] इसमें लाभाँश, ब्याज, उपकरण का किराया, अधिकार शुल्क (रायल्टी), भाग्यदा (लॉटरी) जीतना, इत्यादि मद सम्मिलित है।

[८] जैसा धारा २(२४)(iiअ) की परिभाषा में कहा गया है: धारा ११(१) तथा धारा १२(१) के साथ पढ़ें।

[९] जनसेवी संस्थानों को इस तरह के कार्यों के लिए एक अलग लेखा-बही रखने पड़ते हैं तथा वह अलग से लाभ-हानि खाता तैयार करते हैं। धारा ११(४अ)

[१०] नियम ८(१)(बी), उप-नियम २ के साथ पढ़ें।

[११] वह संस्थाएँ जिन्हें किसी प्रकार के आर्थिक लाभ का लोभ न हो।

प्रथमतः, कोई जनसेवी संस्था "दान सङ्कल्प" का विधिक प्रवर्तन नहीं करा सकती। इसका क्या अर्थ हुआ?

मान लीजिए - एक पुण्यार्थ भोज में श्री जय सिंह भावुक हो कर उसी समय दस लाख रुपये का चेक बनाकर आपको देते हैं। तीन दिनों के पश्चात् वह चेक बैङ्क से आपके पास भुगतान के बिना लौटा दिया जाता है।

### भविष्याधारित लेखा?

संयुक्त राज्य अमेरिका में दान के वचन को सामान्यतः प्रतिज्ञा (प्लेॅज) कहा जाता है। शाब्दिक अर्थों में प्रतिज्ञा वचन से अधिक मान्य होती है। विधितः अंशदान की प्रतिज्ञा प्रवर्तनीय हो भी सकती है तथा नहीं भी। चाहे जैसा भी हो, कोई भी दान उद्ग्रहिता प्रतिज्ञा भंग होने पर कदाचित् न्यायालय में जाने की सोच भी नहीं सकता।

एस.एफ.ए.एस. – ११६[१२] के अनुसार अमेरिका में सभी अप्रतिबन्धित प्रतिज्ञाओं को लेखाबद्ध करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आवर्ती[१३] दान के लिये की गयी प्रतिज्ञा को ऋण की तरह माना जाता है। इस प्रकार जनसेवी संस्थाओं की प्रस्तुत वर्ष की आय बढ जाती है।

परन्तु, एस.एफ.ए.एस. - ११६ दो कटौतियों का भी प्रावधान करता है:

१. अप्राप्य प्रतिज्ञाओं के लिए कटौती। सामान्यतः, सेवार्थ संस्थाएँ अपने पिछले अनुभव से यह आँकलन करती हैं कि कितनी प्रतिज्ञा राशि भविष्य में उद्ग्रहित नहीं होगी। वे उस राशि को चिट्ठे में "प्राप्य राशि" में से घटा कर दिखाती हैं।

२. भविष्य में प्राप्त होने वाली राशि का वर्तमान मूल्य कुछ कम होता है। इसके लिए ऐसी राशि को उचित ब्याज दर से घटा कर वर्तमान मूल्य पर लाया जाता है। 'प्राप्य प्रतिज्ञायों' को चिट्ठे में ऐसे घटाए हुए वर्तमान मूल्य पर दिखाया जाता है।

क्यों करते हैं अमेरिका के लेखापाल, भविष्य को यों लेखाबद्ध करने का प्रयत्न ? सम्भवतः उन्होंने सन्त कबीर दास जी के यह वचन हृदय से लगा रखे हैं :

*काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।*
*पल में परलै होयगी, बहुरि करेगा कब॥*

क्या आप श्री सिंह के विरुद्ध न्यायालय में वाद ला सकते हैं? नहीं, वर्तमान भारतीय विधि[१४] के अन्तर्गत "दान सङ्कल्प" अप्रवर्तनीय संविदा है, क्योंकि यह संविदा बिना किसी प्रतिफल[१५] के है। इसलिए इस पर वाद नहीं लाया जा सकता।

द्वितीयतः जनसेवी संस्थाएँ देनदारों या माल खाते में कोई विशेष पूँजी या धन नहीं लगातीं। इनके पास बड़ी मात्रा में क्षय होने वाली अचल सम्पत्ति भी नहीं होती।

परन्तु सेवार्थ संस्थाएँ (जैसे चिकित्सालय) इस विषय में जनसेवी संस्थाओं से भिन्न होती हैं। इनके पास अधिकांशतः बड़ी मात्रा में सामग्री के साथ-साथ बहुमूल्य उपकरण तथा यन्त्र होते हैं।

तृतीयतः जनसेवी संस्थाओं में उधार पर लेन-देन बहुत ही सीमित होता है। वे बैङ्क इत्यादि के द्वारा दी जाने वाली ऋण सुविधाओं का भी उपयोग नहीं करते।

सेवार्थ संस्थाएँ (जैसे चिकित्सालय तथा विद्यालय) अपने उपभोक्ताओं को विशिष्ट उधार की सुविधा नहीं देतीं। परन्तु ऐसी संस्थाएँ उधार पर सामग्री लेती हैं तथा बैङ्क इत्यादि से भी ऋण लेती हैं।

चतुर्थतः अधिकतम भारतीय जनसेवी संस्थाओं का लेखा-सम्बन्धी आन्तरिक नियन्त्रण अभी विकास के प्राथमिक स्तर पर है।

| विषय-वस्तु | सेवार्थ संस्थाएँ | जनसेवी संस्थाएँ |
|---|---|---|
| शुल्क | प्रोद्भवन | प्रोद्भवन |
| किराये, ब्याज, लाभांश, इत्यादि, से आय। | प्रोद्भवन | प्रोद्भवन |
| राज्यानुदान | प्रोद्भवन | प्रोद्भवन |
| परियोजना अनुदान[१६] | प्रोद्भवन | प्रोद्भवन |
| दान | रोकड़ | रोकड़[१७] |
| वेतन, किराया, ब्याज इत्यादि, का व्यय। | प्रोद्भवन | प्रोद्भवन |
| अन्य व्यय | प्रोद्भवन | रोकड़ |

ऐसी स्थिति में, मिश्रित लेखाधार ही सबसे उचित हो सकता

---

[१२] अमेरिका के फाइनेन्शियल अकाउन्टिङ्ग स्टैन्टर्ड्स बोर्ड द्वारा बनाये हुऐ स्टेटमैण्ट्स ऑफ फाइनेन्शियल अकाउन्टिङ्ग स्टैन्टर्ड्स

[१३] रिकरिङ्ग

[१४] पहले ऐसा नहीं था। अर्थशास्त्र (आचार्य चाणक्य द्वारा पन्द्रहवीं शती ई॰ पू॰ या दूसरी शती ई॰ पू॰ में रचित) के अनुसार दान के धन को भी उसी तरह उद्ग्रहित करना चाहिए जैसे ऋण को किया जाता है। [३.१६.१] दत्तस्याप्रदानमृणादानेन व्याख्यातम्। पृष्ठ-३२३, कौटिलीयम् अर्थशास्त्रम्, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, चतुर्थ संस्करण, १९९६

[१५] भारतीय संविदा अधिनियम, १८७२। यह अधिनियम आँग्ल विधि पर आधारित है।

[१६] परियोजना अनुदान सामान्यतः प्रवर्तनीय अनुबन्ध के अनुसार चलते हैं। दोनो पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर यह मान्य हो जाते हैं। ऐसे में यदि कोई जनसेवी संस्था अनुबन्ध की आवश्यक अपेक्षाएँ पूरी कर दें, तो उसका विधिक अधिकार हो जाता है कि अनुबन्धित राशि उसे प्रदान की जाए।

[१७] तार्किक दृष्टि से यह प्रोद्भवन लेखाधार ही है। कैसे? दान का लेखा तब किया जा रहा है जब वास्तविक रूप से प्राप्ति हो रही है। संयोग से इसे प्राप्त करने का अधिकार भी प्राप्ति के साथ-साथ उदय होता है। अतः आप इनका लेखा उसी समय कर रहे हैं जब दान देय हो रहा है। इस दृष्टि से यह प्रोद्भवन लेखाधार हुआ।

है। यहाँ भी हम शुल्क पर निर्भर सेवार्थ संस्थाओं तथा अनुदान पर निर्भर जनसेवी संस्थाओं के लिए भिन्न-भिन्न संयोजन चुन सकते हैं।

### जनसेवी संस्थाओं द्वारा अन्य व्यय

जैसा कि ऊपर सारणी में दिखाया गया है, जनसेवी संस्थाओं द्वारा "अन्य व्यय" का लेखाधार 'रोकड़' है।

इसमें अधिकतर अनावर्ती[१८] कार्यक्रम व्यय सम्मिलित होंगे। इसमें अन्य प्रशासनिक व्यय भी सम्मिलित होंगे। सम्भवतः आप सोच रहे होंगे कि इन्हें भी प्रोद्भवन लेखाधार पर क्यों न रखा जाये?

प्रथमतः इनको प्रोद्भवन लेखाधार पर रखने से खाता-सम्बन्धी कई जटिलताएँ बढ़ जाएँगी।

द्वितीयतः अविवेकी लेखापाल इसका अवांछनीय प्रयोग[१९] कर सकते हैं। इससे जनसेवी संस्थाओं की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा यह जनसेवी क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करेगा।

## प्रकटीकरण

आप चाहे जो लेखाधार अपनाएँ, उत्तम यही होगा कि आप उसके बिषय में अपने लेखा विवरणों में बताएँ। लेखाधार का वर्णन टिप्पणी के द्वारा किया जाता है।

उदाहरण के लिए - यदि आप कोई जनसेवी संस्था चलाते हैं तथा ऊपर दी गई तालिका के अनुसार संस्था का लेखा रखने का विचार करते हैं तो आप इस तरह की टिप्पणी दे सकते हैं:

> "दान तथा अन्य व्यय (जिनका लेखाधार रोकड़ है), को छोड़ कर सभी खाते प्रोद्भवन लेखाधार पर प्रस्तुत किये गये हैं।
>
> अन्य व्यय से हमारा अभिप्राय अनावर्ती व्यय से है जिसमें अधिकतर कार्यक्रम तथा प्रशासनिक व्यय सम्मिलित हैं। अन्य व्ययों में समयाधारित व्ययों (जैसे वेतन, किराया, ब्याज, आदि) को सम्मिलित नहीं किया गया है।"

यदि आप प्रत्येक वर्ष एक जैसी रीति से ही खाता बना रहे हैं तो उपर्युक्त रीति से बनाये खातों में यह स्पष्टीकरण देना आवश्यक नहीं है कि इस विधि का क्या आर्थिक प्रभाव आपके खातों पर पड़ता है।

[१८] नॉन रिकरिङ्ग

[१९] ऐसे लेखाकार प्रतिवेदन अवधि के अन्त में, काल्पनिक व्यय के प्रावधान की प्रविष्टियाँ कर सकते हैं। ऐसे काल्पनिक व्यय का प्रतिवेदन (लेखाङ्कन व अङ्केक्षण के बाद) सम्बद्ध दातव्य संस्था को दे दिया जाएगा है। प्रतिवेदन के बाद कभी-कभी इन प्रविष्टियों को पलट दिया जाता है। इस प्रकार बड़ी-बड़ी राशियों की हेरा-फेरी हो सकती है।

## सम्बन्धित लेखा·योग


६: भारतीय लेखा के मानक

७: आपकी लेखा नीतियाँ

३६: चिट्ठा

३८: आय-व्यय

५९: सामान्यतः उलझन वाले प्रश्न

८९: जनसेवी संस्थाओं का लेखा



**लेखा·योग क्या है** - 'मानक हिन्दी कोश' के अनुसार योग के कम से कम ४० अर्थ होते हैं। गणित में योग का अर्थ है दो संख्याओं को जोड़ना। आध्यात्मिक रूप से योग का अर्थ तपस्या अथवा साधना होता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने निष्काम कर्म को योग बताया है। लेखा कर्म में यह तीनों भाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यदि लेखाकार लेखा लिखने और योग लगाने में योगफल की चिन्ता न करें तो अवश्य ही संस्थाओं के लेखा-जोखा में सुधार होगा। लेखा·योग का यही उद्देश्य है।

**लेखा·योग की हिन्दी कैसी हो** - इस विषय पर गहन सोच-विचार के उपरान्त यह निष्कर्ष निकला कि जहाँ तक सम्भव हो शुद्ध भाषा और वर्तनी (स्पैलिङ्ग) का प्रयोग किया जाये। अर्थात् अन्य भाषाओं से लिये शब्दों का प्रयोग कम-से-कम हो। हमारा मानना है कि इससे हमारी और पाठकों की भाषा-क्षमता का विकास होगा। इस सिद्धान्त को न मानने से आँग्ल (अँग्रेजी) भाषा की जो दुर्दशा हुई है वह सबको विदित है। आँग्ल भाषा में आलस्यवश (अथवा अज्ञानवश) अन्य भाषाओं से शब्द सीधे आयात कर लिये गये। इससे आँग्ल शब्दों की गणना में विस्तार तो हुआ परन्तु उनके अर्थ, उच्चारण और वर्तनी की जटिलतायें बढ़ती गयीं। इनको सुलझाने में रोमन लिपि के सीमित वर्णाक्षर (२६) सर्वथा असमर्थ रहे हैं। इसीलिये आँग्ल भाषा के लिये बड़े-बड़े शब्द-कोश बनाने पड़े हैं। सौभाग्य से हिन्दी अभी तक इन दोषों से सामान्यतः मुक्त रही है। आशा है कि हमारा यह क्षुद्र प्रयास हिन्दी की गरिमा बनाये रखने में किञ्चित् सहायक होगा।

लेखा·योग हर माह प्रकाशित होता है। इसमें जन-सेवी संस्थाओं के नियमन व लेखा प्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की जाती है। यह विभिन्न जन-सेवी संस्थाओं, दातव्य संस्थाओं, व अङ्केक्षण प्रतिष्ठानों (ऑडिट फर्म) में लगभग १७०० व्यक्तियों को वितरित किया जाता है। लेखा·योग के प्रत्युत्पादन या पुनर्वितरण को अकाउण्टएड इण्डिया प्रोत्साहित करता है यदि ऐसा अव्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए एवं इनके स्रोत को अभिस्वीकार किया जाए।

**आँग्ल भाषा में लेखा·योग** - This issue of Lekha·Yog is available in English as AccountAble.

**लेखा·योग का वाभ-स्वरूप** - लेखा·योग के सभी पुराने अङ्कों के आँग्ल संस्करण (AccountAble) हमारे वाभ-स्थल www.AccountAid.net पर उपलब्ध हैं। इनका हिन्दी वाभ-स्वरूप कुछ समय पश्चात् प्राप्त हो सकेगा।

**लेखा·योग सम्पुटिका** - जनसेवी संस्थाओं के लेखा तथा इससे सम्बन्धित छोटी-छोटी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए कृपया इस पते पर ई-प्रेष करें। accountaid-subscribe@topica.com.

**विधि-व्याख्या** - यहाँ पर उल्लेखित विधि की व्याख्या साधारण जानकारी हेतु की गयी है। अतः निवेदन है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने परामर्शदाताओं से सम्मति ले लें।

**पत्राचार** - आपके प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। हमारा पता है - अकाउण्टएड इण्डिया, ५५-बी, खण्ड सी, सिद्धार्थ विस्तार, नई दिल्ली-११० ०१४; दूरभाष - ०११-२६३४ ३१२८; दूरभाष/प्रतिरूप प्रेषिका - २६३४ ६०४१; ई-प्रेष: accountaid@vsnl.com; accountaid@gmail.com.



© AccountAid™ India राष्ट्रीय शक संवत् फाल्गुन १९२५; मार्च २००४ ईस्वी